राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 20 (2) त.शि./2010 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 30.8.2011

–: आदेश :–

वर्ष 2011–2012 में अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में द्वितीय कॉउन्सलिंग के पश्चात् रिक्त रहे प्रवेश स्थानों को संस्थान स्तर पर प्रवेश देने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. संस्थानों द्वारा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम की रिक्त सीटो का आंकलन कर दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को संस्थान के नोटिस बोर्ड पर एवं अपनी वैवसाईट पर **प्रथम पारी एवं द्वितीय पारी में संचालित ब्रान्च वाईज** पाठ्यक्रम की रिक्त प्रवेश स्थान की सूचना प्रकाशित करेगें।
2. संस्थानों द्वारा आरपीईटी–2011 की काउन्सलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों को Internal Sliding का प्रथमतः लाभ प्रदान करने हेतु संस्थान स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जावेगें। ।
3. संस्थानों द्वारा दिनांक 5.9.2011 कों संस्थान स्तर पर मैन्युअल काउन्सलिंग करते हुए संस्थान में रिक्त प्रवेश स्थानों पर इच्छुक प्रवेशार्थियों को उनकी वरीयतानुसार प्रवेश दिया जावेगा। संस्थान द्वारा दिनांक 5.9.2011 को ही 5.00 बजे से पूर्व पाठ्यक्रमवार रिक्तियों की सूचना का हस्ताक्षरयुक्त पत्र स्केन करते हुए आरपीईटी–2011 कार्यालय तथा osd.techedu@gmail.com को ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

4. **सभी संस्थानों को दिनांक 6.09.2011 को आवश्यक रूप से आरपीईटी–2011 कार्यालय को 5.00 बजे तक रिक्त प्रवेश स्थानों की सूचना विशेष पत्र वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराने के साथ साथ ही दैनिक समाचार पत्रों में रिक्त प्रवेश स्थानों को भरने की विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होगी।**

5. **दिनांक 8.9.2011 को आरपीईटी–2011 द्वारा वैवसाईट पर संस्थानों की रिक्त प्रवेश स्थानों की संस्थान वार/ब्रान्चवार एवं शिफ्ट वार सूचना प्रकाशित की जावें।**

6. रिक्त रहे प्रवेश स्थानों पर संस्थान स्तर पर प्रवेश निम्न वरीयता क्रम के अनुसार किये जायेगे :–
   - RPET-2011 में Choice exhausted वाले अभ्यर्थी ।
   - RPET – 2011 Appeared
   - AIEEE – 2011 Appeared (राजस्थान मूल निवासी)।
   - AIEEE – 2011 Appeared (अन्य राज्य मूल निवासी)।

- राजस्थान मूल निवासी (10+2) न्यूनतम अर्हतक परीक्षा उत्तीर्ण।
- अन्य राज्यों का मूल निवासी (10+2) न्यूनतम अर्हतक परीक्षा उत्तीर्ण।

9. संस्थान प्रवेश प्रक्रिया को संस्थान स्तर पर सम्पादित करने हेतु एक नॉडल अधिकारी की नियुक्ति करेगी। नोडल अधिकारी का नाम, मोबाईल नम्बर एवं दूरभाष की सूचना आरपीईटी–2011 कार्यालय तथा osd.techedu@gmail.com को उपलब्ध कराई जावेगीं। नॉडल अधिकारी का निम्न दायित्व होगा :–

- प्रत्येक आवेदक से 200.00 रूपये का शुल्क (जिनको पूर्व में विकल्प के आधार पर प्रवेश नहीं मिला है, को Refund) प्राप्त करते हुए आवेदक की पूर्ण प्रविष्टि मय रसीद नम्बर एवं तिथि के साथ एक रजिस्टर में संधारित किया जावेगा।
- प्रत्येक आवेदन पत्र पर नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर मय दिनांक किये जावेगें तथा आवेदक का पूर्ण विवरण का इन्द्राज तिथि वार एवं क्रम वार प्रतिदिन रजिस्टर में किया जावेगा ।
- आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि का निर्धारण तथा प्रवेश सम्बन्धी कार्यक्रम की सूचना हेतु पर्याप्त समय अभ्यर्थियों को प्रदान करते हुए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करनी देनी होगी।
- समस्त योग्य अभ्यर्थियों की सूची मैरिट अनुक्रम में तैयार करनी होगी एव प्राप्त आवेदनों की विषय वार मैरिट सूची संस्थान की वेब साईड एवं संस्थान के नॉटिस बोर्ड पर उपलब्ध करवानी होगी।
- संस्थानों द्वारा प्राप्त आवेदनों की ब्रान्च वार एवं शिफ्ट वार निम्न प्रर्फामा में **Applied** की सूची तैयार करनी होगी।

S. N	Name ot Students	Father's Name	Mother's Name	Date of Birth	XII th.%age	RPET-2011 Roll No.	RPET - 2011 Rank	AIEEE - 2011 Roll No.	AIEEE - 2011 Rank
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- उल्लेखित वरीयताक्रम की अनुपालना में रिक्त प्रवेश स्थानों पर एक निर्धारित तिथि को मैन्युअल कॉन्सिलिंग के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करवायेगा।

11. सीधी भर्ती में प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने की अंतिम तिथि तक drop out/left out सीटों को सम्मिलित कर लिया जावें।

12. आर.पी.ई.टी. 2011 के माध्यम से पूर्व में आवंटित संस्था में निर्धारित शुल्क जमा करा कर प्रवेश प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी इस प्रक्रिया हेतु पात्र नहीं होगें।

13. **संस्थानों की जिम्मेदारी होगी कि वे दिनांक 15 सितम्बर,2011 तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से दिनांक 17 सितम्बर,2011 को**

सायंकाल 5.00 बजे तक आरपीईटी–2011 कार्यालय को प्रवेशित छात्रों की सूची मय आवश्यक दस्तावेजात के साथ उपलब्ध करा देगें।

14. **किसी भी परिस्थिति में समन्वयक, आरपीईटी–2011 द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2011 के बाद किसी भी संस्थान की सूची को स्वीकार नहीं किया जावेगा इसके साथ साथ ही किसी भी संस्थान की सूची में नाम संशोधन/परिवर्तन या ब्रान्च परिवर्तन की अनुमति समन्वयक, आरपीईटी–2011 द्वारा प्रदान नहीं की जावेगी।**

15. केन्द्रीयकृत प्रवेश समन्वयन समिति के माध्यम से सम्मिलित नही होने वाले छात्र सीधे अथवा मेनेजमेंट कोटे के तहत प्रवेश लेते है उन संस्थानों द्वारा प्रत्येक प्रवेशित छात्र पर समन्वयक आरपीईटी–2011 के नाम से देय राशि रू. 1000/– प्रक्रिया शुल्क के तहत समन्वयक–2011 के कार्यालय में जमा कराने होगें।

16. संस्थान द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर आरपीईटी–2011 कार्यालय द्वारा केवल काउन्सलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची को नामांकन हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को अग्रेषित कर दिया जावेगा। संस्थान स्तर पर दिये गये प्रवेशार्थियों का अनुमोदन आरपीईटी–2011 कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा ।

17. समन्वयक,आरपीईटी–2011 संस्थानों की सम्पूर्ण सूची का अनुमोदन एवं प्रमाणीकरण करते हुए दिनांक 30.9.2011 तक आवश्यक रूप से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा को प्रेषित करेगें।

भवदीय

(आर. के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी, त0शि0

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. **समन्वयक, आरपीईटी–2011 को प्रेषित कर लेख है कि इस सूचना को संस्थानों के ई–मेल पर डाउन लोड करवा दिया जावें। यह भी अनुरोध है कि दिनांक 8 सितम्बर,2011 को आरपीईटी–2011 की वैवसाईट पर संस्थानों की रिक्त प्रवेश स्थानों की सूचना प्रकाशित करवादी जावें।**
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
5. गार्ड फाईल।

विशेषाधिकारी, त0शि0